FBR/निगरानी/बैतूल/भू.रा.स./2017/2655

(282)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–बैतूल

1– श्रीमती शान्ती बाई पत्नी स्व. शिवनारायण चौधरी
2– मुरलीधर पुत्र स्व. शिवनारायण चौधरी
3– दिलीप पुत्र स्व. शिवनारायण चौधरी
4– प्रदीप पुत्र स्व. शिवनारायण चौधरी
निवासीगण – गणेश वार्ड चौकीपुरा बैतूल बाजार तहसील व जिला बैतूल (म.प्र.)

आवेदकगण

श्री ______ द्वारा आज दि. 18-8-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1– विमला पत्नी स्व. नारायण प्रसाद चौधरी
2– प्रदीप पुत्र श्री स्व. नारायण प्रसाद चौधरी
3– संदीप पुत्र स्व. नारायण प्रसाद चौधरी
4– कुलदीप पुत्र स्व. नारायण प्रसाद चौधरी
निवासीगण – चौकीपुरा शिवाजी वार्ड नं.1 बैतूल बाजार तहसील व जिला बैतूल (म.प्र.)

अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार बैतूल द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ–12/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2005 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर व्याख्यान हेतु प्रस्तुत है –

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यह कि, अनावेदकगण के पति एवं पिता स्व. नारायण प्रसाद चौधरी द्वारा [illegible] पटवारी हल्का नं. 66 के खसरा नं. 90 रकबा 1.489 का [illegible] किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जो नायब तहसीलदार बैतूल द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ–12/04–05 पर पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. यह कि, आवेदकगण एवं अनावेदकगण एक ही परिवार के सदस्य है, उभय पक्षों के पूर्वज बाबा राम चौधरी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि तहसील स्थित बंदोबस्त नं. 712 पटवारी हल्का नं. 78 की खसरा क्रमांक [illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक / पी.बी.आर / निगरानी / बैतूल / भू.रा. / 2017 / 2655

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
[illegible]18/17	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार, बैतूल के प्रकरण क्रमांक 30 / अ–12 / 04–05 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2005 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदकगण के पति एवं पिता स्वर्गीय नारायण प्रसाद चोधुरी द्वारा ग्राम हनोतिया प.ह.न. 57 के खसरा नं. 90 रकबा 1.489 का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जो नायब तहसीलदार, बैतूल द्वारा प्रकरण क्रमांक 30 / अ–12 / 04–05 पर किया गया एवं आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना सीमांकन आदेश दिनांक 01.05.2005 पारित कर दिया गया। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। 4– आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि आवेदकगण एवं [illegible] के समपक्षी की पूर्वज [illegible]	

राम चौधरी के स्वत्व एवं अधिपत्य की ग्राम हनौत्या स्थित भूमि बंदौबस्त नं. 71? पटवारी हल्का नं. 78 की खसरा क्रमांक 53 क्षेत्रफल 7.18 एकड़ थी। बालाराम की मुत्यु के पश्चात् उनके पुत्र भिखारी लाल एवं रतन लाल के बीच चल एवं अंचल सम्पत्ति का आपसी सहमति से बंटवारा हुआ था। और उस बंटवारे के संबंध में याददास्त के रूप में दिनांक 28.08.1936 को एक रूपये के स्टाम्प पर लेख किया गया था। बंटवारे के पश्चात् रामरतन एवं भिखारीलाल बंटवारे के अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। बंटवारे के अनुसार हनौत्या स्थित बडाबर्रा शिवनारायण के पिता रामरतन को प्राप्त हुआ उस बडे बर्रे पर रामरतन के पश्चात् शिवनारायण और शिवनारायण के पश्चात् आवेदकगण का अधिपत्य है। अनावेदक के मृतक पिता नारायण प्रसाद द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 01.05.2005 को गलत जानकारी देकर तथा आवेदकगण की अनुपस्थिति में कराया गया यह सीमांकन 1936 में हुये बंटवारे की स्थिति के विपरीत है तथा इसमें मेढिया कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी है और न ही कार्यवाही में आवेदकगण को पक्षकार बनाया गया है तथा सीमांकन पंचनामा दिनांक 01.05.2005 में आवेदकगण के पिता शिवनारायण के हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में किया गया सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसे स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– आवेदक अभिभाषक के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र सद्भाविक एवं समाधान कारक होने से मान्य किया जाता है। जहाँ तक प्रकरण में की गयी सीमांकन

कार्यवाही का प्रश्न है अधीक्षक भू–अभिलेख बैतूल द्वारा पंचनामा दिनांक 01.05.2005 से स्पष्ट है कि ग्राम हनौत्या प.ह.न. 57 के कृषक नारायण प्रसाद व भिखारी लाल के खसरा नं. 90 रकवा 1.489 है0 की सीमांकन आवेदक और अनावेदक के समक्ष किया गया। मौकें पर चांदा न होने से ग्राम की सरहदी सीमा एवं बदौबस्त सन् 1916–17 की स्थाई मेढ से नापकर मौका बताया गया। उक्त पंचनामें में शिवनारायण के हस्ताक्षर नहीं है इस प्रकार सीमांकन शिव नारायण की अनुपस्थिति में तथा मेढिया कृषको को सूचना पत्र दिये बिना किया गया। सीमांकन की कार्यवाही एक राजस्व न्यायिक नहीं है जिसके संबध में पुनरीक्षण किये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जहाँ तक व्यवहार न्यायालयों के आदेशों का प्रश्न है तो संहिता की धारा 129 तथा 257 (छ) भूमि का मापन उस पर सीमा चिन्ह लगाये जाना राजस्व न्यायालयों की अनन्य अधिकारिता है। सिविल न्यायालयों की अधिकारिता नहीं है – ए.आई.आर 1987 एस.सी. 2137, 2003 आर.एन. 219 उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायदृष्टांतों में किया है। आवेदिका द्वारा कलेक्टर बैतूल के समक्ष प्रकरण क्रमांक 1/अ–6/2010–11 इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि खसरा क्रमांक 90/1, 90/2, 90/3 के नक्शे में दुरूस्ती किया जाये। जिसमें स्थल की जाँच की गयी एवं राजस्व निरीक्षक ने प्रतिवेदन दिनांक 29.01.2013 प्रस्तुत किया पंचनामा बनाया गया पंचनामें में उल्लेख है कि मौके पर आवेदकगण मुख्य मार्ग पर खसरा नं. 91/1, 91/2 के साथ 445 फीट में काबिज है। जो करीब 20 वर्ष पूर्व भूमि पर मकान बनाया है उपरोक्त तथ्यो पर विचार करने के बाद कलेक्टर बैतूल द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.08.2013 में निष्कर्ष दिया है कि भूमि का स्वत्व ही तय नहीं है ऐसी स्थिति में किया गया सीमांकन पंचनामा दिनांक [illegible]

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीक्षक भू–अभिलेख बैतूल द्वारा पंचनामा दिनांक 01.05.2005 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, बैतूल को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्षों की उपस्थिति में मेढिया कृषकों को सूचनापत्र दिये जाने के पश्चात् आधुनिक यंत्रो से सीमांकन की कार्यवाही सम्पादित करें।

सदस्य